न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 17/2019
बउनवानः–

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

भैरूलाल पुत्र माधोलाल वगै0 जाति धाकड निवासी भटेडिया तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दायरा दिनांकः 13.02.2019 निर्णय दिनांक : 13.02.2019

पटवारी हल्का मऊ, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम चक भटेडिया में वर्ष 2000–2001 में ब्लॉक लक्ष्मीपुरा केचमेंट हो जाने के बाद भी सेटलमेंट खसरा नं0 81 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 87 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.26 है0, सिवायचक एवं खसरा नं0 103/235 रकबा 0.22 है0 खातेदार भैरूलाल पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी भटेडिया के नाम दर्ज खाता है जबकि उक्त खसरा नम्बरान में केचमेंट हो जाने के बाद नामा0 123 में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद जो चुका है। सेटलमेंट खसरा नं0 103/235 रकबा 0.22 है0 के खातेदार भैरूलाल पुत्र माधोलाल को उक्त रकबे की एवज में केचमेंट में ग्राम बमोरीकलां में खसरा नं0 2359 रकबा 0.21 है0 दिया जा चुका है तथा सेटलमेंट खसरा नं0 106 रकबा 0.50 के आवंटी हजारीलाल पुत्र मदनलाल चमार को केचमेंट में नही दर्शाया गया है। नक्शो के अनुसार उक्त खसरा नं0 का केचमेंट नवीन खसरा नं0 229 रकबा 0.87 है0 गै0 मु0 ड्रेन दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आवंटी के खसरा नं0 229 में से 0.47 है0 किस्म नहरी प्रथम दर्ज कर रकबा दिया जाना था। केचमेंट विभाग द्वारा उक्त आवंटी को रकबा नही दिया जाकर त्रुटी की गयी है।

अतः राजस्व रेकार्ड का सेग्रीगेशन व तरमीम कार्य के लिए आदिनांक किये जाने हेतु ग्राम चक भटेडिया के सेटलमेंट खसरा नं0 81 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 87 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 103/235 रकबा 0.22 है0 (नामा0 सं0 74 से गैर खातेदार) खसरा नं0 को वर्तमान जमाबंदी से हटाया जाना उचित होगा। तथा सेटलमेंट खसरा नं0 106 रकबा 0.50 है0 किस्म नहरी प्रथम के आवंटी हजारीलाल पुत्र मदनलाल चमार निवासी भटेडिया को नक्शे अनुरूप बनाये गये केचमेंट खसरा नं0 229 रकबा 0.87 है0 किस्म गै0 मु0 ड्रेन में से केचमेंट रकबा कटौती बाद 0.47 है0 किस्म नहरी प्रथम नवीन खसरा नं0 229/235 रकबा 0.47

पूर्वी तरफ से हजारीलाल पुत्र मदनलाल चमार निवासी भटेडिया के नाम दर्ज किया जाकर उक्तानुसार तरमीम किया जाना उचित होगा।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 13.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1– केचमेंट जमाबंदी सम्वत 2000–2001 ब्लॉक लक्ष्मीपुरा 2. नामा0 रजिस्टर ग्राम भटेडिया 3. नक्शा ट्रेस ग्राम चक भटेडिया की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम चक भटेडिया के सेटलमेंट खसरा नं0 81 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 87 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 103/235 रकबा 0.22 है0 (नामा0 सं0 74 से गैर खातेदार) खसरा नं0 को वर्तमान जमाबंदी से हटाया जाने के आदेश दिये जाते है। तथा सेटलमेंट खसरा नं0 106 रकबा 0.50 है0 किस्म नहरी प्रथम के आवंटी हजारीलाल पुत्र मदनलाल चमार निवासी भटेडिया को नक्शे अनुरूप बनाये गये केचमेंट खसरा नं0 229 रकबा 0.87 है0 किस्म गै0 मु0 ड्रेन में से केचमेंट रकबा कटौती बाद 0.47 है0 किस्म नहरी प्रथम नवीन खसरा नं0 229/235 रकबा 0.47 है0 पूर्वी तरफ से हजारीलाल पुत्र मदनलाल चमार निवासी भटेडिया के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।